भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1384
दिनांक 07.12.2021/ 16 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख राज्य सरकार के कर्मचारी

1384. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुच्छेद 370 और 35-क के निराकरण के पश्चात् जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में कार्यरत राज्य के कर्मचारियों और जम्मू-कश्मीर के पुलिसकर्मियों को अन्य संघ राज्यक्षेत्रों की भांति ही सुविधाएं मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के ऐसे लगभग कितने कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए वेतनमान संशोधित किए गए हैं। इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बाल शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि जैसे भत्ते भी प्रदान किए गए हैं।

(ग): जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 4.50 लाख कर्मचारी इन सुविधाओं से लाभान्वित हुए हैं।

******